<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की दिनांक 01.09.2017 को आयोजित विशेष बैठक के कार्यवृत</u>

खरीफ 2017 में बाढ़ से फसल खराबा के आंकलन व प्रभावित कृषकों को राहत के संबंध में दिनांक 01.09.2017 को विशेष राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में श्री हेमंत गेरा, शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, श्री सांवरमल वर्मा, संयुक्त सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार, श्री एन. सी. उप्रेती, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान, श्री बी.एस. जाट, संयुक्त सचिव, आयोजना (संस्थागत वित्त), राजस्थान सरकार, श्री हंसराज यादव, अतिरिक्त निर्देशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, राजस्थान सरकार, श्री एस.एस. चतुर्वेदी, संयुक्त निदेशक, कृषि, राजस्थान सरकार, श्री रामवतार शर्मा, अति. निदेशक आयोजना (संस्थागत वित्त), राजस्थान सरकार, श्री आर. के. थानवी, महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री आर. पी. पालीवाल, सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक तथा विभिन्न बैंकों एवं फसल बीमा कंपनी के कार्यपालकों/ अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी. (संलग्न सूची के अनुसार)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान श्री एन. सी. उप्रेती ने एसएलबीसी की विशेष बैठक में उपस्थित सभी हितधारकों/सदस्यों का स्वागत किया तथा सदन को उक्त बैठक के आयोजन के उद्देश्य तथा महत्ता के बारे में अवगत करवाया.

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 1(4)/आ.प्र.एवं सहा./ सामान्य/2017/8424-44 दिनांक 01.08.2017 (अधिसूचना संलग्न) जो कि एसएलबीसी कार्यालय को 23.08.2017 को प्राप्त हुयी है, से खरीफ 2017 में बाढ़ से खराबा होने की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज़ (संस्पेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स) एक्ट, 1952 के तहत राज्य के 4 जिलों यथा पाली, सिरोही, जालौर एवं बाड़मेर में कुल 1290 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है जिसमें से पाली, सिरोही, बाड़मेर एवं जालौर के क्रमशः 621, 348, 61 एवं 260 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है.

साथ ही उन्होने बताया कि उपरोक्त अधिसूचना प्राप्त होने के पश्चात हमारे कार्यालय के पत्रांक ज.अं/एस.एल.बी.सी/2017-18/895 दिनांक 28.08.2017 के द्वारा अग्रणी जिला प्रबन्धक, पाली, सिरोही, जालौर एवं बाड़मेर को विशेष डीएलसीसी/डीएलआरसी बैठक शीघ्र आयोजित करने एवं उसके कार्यवृत एसएलबीसी, राजस्थान को प्रेषित करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है एवं इस की प्रति समस्त बैंक नियंत्रकों को भी प्रदान की गयी है. बैठक में उन्होने अग्रणी जिला प्रबन्धकों को भी निर्देश दिये कि आज की बैठक के दौरान जिन बिन्दुओं पर चर्चा की जायें उन बिन्दुओं पर आप भी अपने जिले में आयोजित की जाने वाली विशेष डीएलसीसी/डीएलआरसी बैठक में भी चर्चा करें एवं इसके अतिरिक्त भी आप अन्य आवश्यक बिन्दुओं को भी सम्मिलित कर सकते है.

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि उप शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 28.08.2017 को जारी जिला बाड़मेर, जालौर, पाली की क्षति अधिसूचना की प्रति बैठक के दौरान सभी को उपलब्ध करवा दी गयी है जिसमें तहसीलवार/ गाँववार फसल खराबा का प्रतिशत भी दिया हुआ है एवं सिरोही जिले के लिए फसल खराबा आंकलन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कमेटी के गठन से भी सूचित किया.

शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि राजस्थान एफेक्टेड एरियाज़ (संस्पेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स) एक्ट, 1952 के तहत राज्य के 4 जिलों यथा पाली, सिरोही, जालौर एवं बाड़मेर में कुल 1290 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है एवं आने वाले कुछ दिनों में पाली जिले के अलावा अन्य जिलों में अभावग्रस्त गांवों का आकडा बढ़ सकता है एवं गावों की यह संख्या बढ़ कर लगभग 1500 गांवो तक जा सकती हैं. अभी वर्तमान में हमारे विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक सूचना जिलों से मँगवायी जा रही हैं.

शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार ने यह भी बताया कि पूर्व में राजस्थान सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगो को Agri Input subsidy कोओपेरेटिव बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती थी. इस संबंध में दिनांक 05.09.2017 को एक बैठक का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है जिसमें हमारे द्वारा एक प्रस्ताव रखा जा रहा हैं जिसके अनुसार रबी 2016-17 एवं इससे पूर्व प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगो को Agri Input subsidy अब केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जायें. यह तभी संभव हैं जब लाभार्थी का खाता राष्ट्रीयकृत बैंकों में हो. लाभार्थियों के खातों की सूचना हमारे विभाग द्वारा पटवारियों के माध्यम से एकत्रित कर ली गयी हैं एवं अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार केवल 10% लाभार्थियों के खाते राष्ट्रीयकृत बैंकों में नहीं हैं. ऐसे लाभार्थियों के खाते शीघ्र खुलवाने हेतु हमें बैंकों का सहयोग चाहिए. इस हेतु उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वह अपनी बैंक शाखाओं को निर्देश प्रदान करें कि जिन कृषकों के खाते खुले हुए नहीं है उन कृषकों के खाते शीघ्र खोलें जाएं. इसके अतिरिक्त हमारे विभाग द्वारा आगामी कुछ दिनों में राज्य के 13 जिलों यथा अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तोडगढ़, चुरू, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद एवं उदयपुर जिलों के लाभार्थियों के खातों में लगभग राशि रू 1250 करोड़ की Agri Input subsidy स्थानांतरित की जावेगी. उन्होने यह भी बताया कि हो सकता है कि कुछ लाभार्थियों के खातों में सब्सिडी लौट आये इस स्थिति में संबन्धित जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जिन लाभार्थियों के खातों में सब्सिडी क्रेडिट नहीं हुयी हैं उन खातों से संबन्धित सूचनाएं/कारण यथा inoperative a/c, सही खाते की सूचना इत्यादि संबन्धित बैंक से एकत्रित की जावेंगी इस प्रक्रिया में भी बैंक जिला प्रशासन का सहयोग करें.

उन्होने उपस्थित सभी बैंकों के नियंत्रकों से विशेष आग्रह किया कि वह अपनी शाखाओं को निर्देशित करें कि राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को प्रेषित राशि में से बैंकों द्वारा उनसे संबन्धित किसी ऋण खाते में बकाया होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सब्सिडी राशि से बकाया ऋण राशि में समायोजित नहीं की जायें.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने वरिष्ठ सलाहकार, भारतीय बैंकिंग संघ (IBA) के पत्रांक SB/RBI/DBT/2017-18/3027 दिनांक 21 जून, 2017 का संदर्भ देते हुये बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 23 मई, 2017 को एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं भारतीय बैंकिंग संघ के अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी. इस बैठक में बैंक के राइट टू सेट ऑफ नियम का वित्तीय समावेशन व DBT के क्रियान्वयन में निहितार्थ (implication) के बारे में चर्चा की गयी थी एवं बैठक में इस संबंध में कुछ निर्णय भी लिए जाने से अवगत करवाया. जो राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान द्वारा सभी बैंकों को पत्रांक रा.अं/एस.एल.बी.सी./2017-18/722 दिनांक 25.07.2017 के द्वारा प्रेषित किये जा चुके हैं. उन्होने इंडियन बैंक एसोसियेशन (IBA) के द्वारा जारी परिपत्र का संदर्भ देते हुए पुनः सभी बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया कि प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को राज्य/केंद्र सरकार द्वारा अंतरित राशि में से बैंकों द्वारा उनसे संबन्धित किसी ऋण खाते में बकाया होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सब्सिडी राशि से बकाया ऋण राशि में समायोजित नहीं की जायें. आईबीए एवं एसएलबीसी, राजस्थान द्वारा जारी पत्र की प्रति सभी हितग्राहियों के सुलभ संदर्भ हेतु कार्यवृत के साथ पुनः संलग्न कर रहे है.

इसके उपरांत **उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान द्वारा** सदन को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों के द्वारा किये जाने वाले राहत उपायों पर चर्चा करने हेतु श्री आर. पी. पालीवाल, सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक आमंत्रित किया.

सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री आर. पी. पालीवाल ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या RBI/FIDD/2017-18/55 Master Direction FIDD.Co.FSD. BC.No.8/05.10.001/2017-18 दिनांक 03.07.2017 के अनुपालना में स्पेशल एसएलबीसी बैठक आयोजन करने पर एसएलबीसी, राजस्थान को धन्यवाद दिया साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित परिपत्र में निहित बिन्दुओं पर प्रकाश डाला.

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या RBI/FIDD/2017-18/55 Master Direction FIDD.Co.FSD. BC.No.8/05.10.001/2017-18 के द्वारा जारी दिशा-निर्देश के मुख्य बिन्दुओं से अवगत करवाया गया. विभिन्न बिन्दुओं पर की गई चर्चा का विवरण निम्नानुसार है :

पैरा क्रमांक	**भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या RBI/ FIDD/2017-18/55 Master Direction FIDD.Co.FSD. BC.No.8/05.10.001/2017-18 दिनांक 03.07.2017**	**चर्चा का सार/विवरण**
4.1	कृषि ऋण : अल्प कालीन फसल एवं उत्पादन ऋणों के बारे में	सभी प्रभावित कृषक जिनका कृषि ऋण खाता Date of occurrence of Natural Calamities (01.08.2017) को अतिदेय (Overdue) नहीं है, उन सभी कृषकों के अल्पकालीन ऋण खाते (KCC) Restructuring हेतु पात्र होंगे. प्रभावित क्षेत्रों के कृषकों को फसल उत्पादन हेतु चालू वर्ष के दौरान प्रदत्त अल्पकालीन ऋण (केसीसी) जो प्राकृतिक आपदा की घटना के समय बकाया (मूलधन व ब्याज) हों, उन्हे Restructure कर मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित करने हेतु पात्र समझा जाये.
4.1.2	Restructure ऋण के लिए ऋण चुकता अवधि एवं Moratorium Period	Restructure ऋण के लिए ऋण चुकता अवधि अधिकतम 2 वर्ष (एक वर्ष Moratorium Period सम्मलित करते हुए) होगी, यदि फसल हानि 33% से 50% है एवं फसल हानि 50% से अधिक है यह अवधि अधिकतम 5 (एक वर्ष Moratorium Period सम्मिलित करते हुए) वर्ष हो सकती है.
4.1.3	Collateral Security (समपार्श्विक प्रतिभूति)	सभी तरह के Restructure ऋण के लिए Moratorium Period कम से कम 1 वर्ष होगी लेकिन ऐसे ऋण के लिए बैंकों के द्वारा अतिरिक्त समपार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security) नहीं मांगी जावेगी.
4.2	Agriculture Loans : कृषि निवेश ऋण (Long Term Investment Credit)	

	बकाया ऋण की किश्ते आपदा की प्रकृति तथा ऋणी की पुनर्भुगतान क्षमता को देखते हुये पुनर्गठित की जानी हैं यथा (अ) प्राकृतिक आपदा में उस वर्ष की फसल नष्ट हो गयी है एवं उत्पादक संपत्ति (Productive Assets) की हानि नहीं हुई है उस स्थिति में. (ब) उत्पादक संपत्ति की आंशिक एवं पूर्ण हानी हुई है एवं ऋणी को नए ऋण की आवश्यकता है उस स्थिति में	बैठक में निर्णय लिया गया कि, ऐसे ऋण की उस वर्ष के किश्त को reschedule कर सकते है एवं उसके ऋण की समयावधि भी एक वर्ष के लिए बढ़ा सकते है. ऐसी स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार ऐसे ऋणी की Repaying Capacity (Total Loan Liability - {Subsidy received from govt.+Compensation available under the insurance company}) को देखते हुए ऋण समयावधि को बढ़ा सकते है एवं Restructure की समयावधि case to case basis पर निर्भर करेगी लेकिन यह अवधि 5 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकती है.
4.3	Other Loans	क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा को देखते हुए बैठक में निर्णय के अनुसार अन्य ऋण (Allied activity, Rural Artisan, traders, micro/small industrial units or in case of extreme situations, medium enterprises is required) reschedule के लिए पात्र होंगे एवं उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके वसूली की समयावधि को टाला जा सकता उस विशेष समय के लिए (Case to Case basis). नये ऋण के लिए बैंक स्वयं के बैंक नियमानुसार निर्णय लें.
4.4	आस्ति वर्गीकरण (Asset Classification) अल्पावधि ऋणों व दीर्घावधि ऋणों का पुनर्गठित भाग को चालू मांग समझा जाकर, एन.पी.ए. में वर्गीकृत नहीं किया जाये. इन नये ऋणों का आस्ति वर्गीकरण तदानुसार संशोधित	सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र RBI/ FIDD/2017-18/55 Master Direction FIDD.Co.FSD. BC.No.8/05.10.001/2017-18 दिनांक 03.07.2017 में निहित दिशा निर्देशों कि

	नियमों एवं शर्तों के अनुसार तय किया जाये.	अनुपालना आवश्यक रूप से करने का अनुरोध किया.
4.5	फसल बीमा दावे के उपयोग के बारे में	पुनर्गठन की स्थिति में, जहां ऋणी को नया ऋण प्रदान किया गया है, ऐसे मामलों में बीमा कंपनियों से प्राप्त फसल बीमा दावे की राशि परिवर्तित (पुनर्गठित) खाते में समायोजित की जाये.
5.1	नया ऋण प्रदान करने के संबंध में (Sanctioning of Fresh Loans)	सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषकों को आगामी फसल उत्पादन हेतु स्केल ऑफ फ़ाइनेंस के आधार पर नया ऋण प्रदान करने के साथ साथ ₹ 10000 का उपभोग ऋण भी प्रदान करने हेतु भी अनुरोध किया साथ ही उन्होने कहा कि बैंकों के द्वारा यह सीमा बढ़ायी जा सकती है
6.1	Relaxation on Know Your Customer (KYC) Norms	प्राकृतिक आपदा क्षेत्र में KYC में छूट प्रदान करते हुए आपदा प्रभावित व्यक्तियों के फोटो एवं हस्ताक्षर के आधार पर Small Account खोलें जावें

<u>प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय - वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी-दिशा निर्देश के बाबत</u>

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. RBI/ 2017-18/48 FIDD.CO.FSD.BC.No.14/05.02.001/2017-18 दिनांक 16.08.2017 का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के कृषकों को फसल उत्पादन हेतु प्रदत्त ऋण के मामले जहां अल्पकालीन ऋण को मध्यमकालीन में परिवर्तित किया गया है. परिवर्तित राशि (Restructure Amount) जो कि फसल उत्पादन ऋण से संबन्धित है उस पर बैंकों को 2% की दर से प्रथम वर्ष हेतु ब्याज अनुदान (Interest Subvention) उपलब्ध रहेगा. कृषक को उक्त ऋण एक साल हेतु 7% की दर से उपलब्ध रहेगा तदुपरान्त आगामी वर्षों में सामान्य ब्याज दर लागू रहेगी एवं फसल ऋण के पुनर्गठन के मामलों में कृषक को Prompt Payment पर मिलने वाले 3% ब्याज अनुदान का लाभ उपलब्ध नहीं रहेगा.

भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा Restructure ऋण की पूर्व निर्धारित प्रारूप मांगी जाने वाली की त्रैमासिक सूचना आज की बैठक के निर्णयानुसार बैंकों द्वारा किये गए Restructure ऋण की सूचना सितंबर तिमाही की सूचना में सम्मिलित करें. प्रारूप एजेंडा के साथ संलग्न है.

एआईसी के प्रतिनिधि ने राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि Crop Cutting के आकडे मोबाइल ऐप्प (Mobile App) के द्वारा करवाएँ.

संयुक्त निदेशक (कृषि) ने आश्वासन दिया कि रबी 2017 से Crop Cutting के आकडे मोबाइल ऐप्प (Mobile App) के द्वारा किए जावेंगे.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सभी फसल बीमा कंपनीयों को कृषकों को सभी लंबित फसल बीमा क्लेम (खरीफ 2016 एवं रबी 2016-17) का शीघ्र भुगतान करने हेतु अनुरोध किया.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैठक में उपस्थित मंचासीन सदस्यों सहित सभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बीमा कंपनी के अधिकारियों एवं बैंकर्स का धन्यवाद ज्ञापित किया गया.

****